

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 27 अगस्त, 2026 को 11:00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. शोक प्रस्ताव

एक मंत्री स्वर्गीय:-

- 1. चौधरी सही राम बिश्नोई, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
- 2. श्री राजपाल भूखड़ी, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
- 3. हरियाणा के शहीद;
- 4. डी-पार्क बाजार, रोहतक में अग्निकांड;
- 5. कुएं में जहरीली गैस के कारण हुई दुखद दुर्घटना ;
- 6. अन्य;

के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

II. प्रश्न।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

III. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव।

|           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एक मंत्री | प्रस्ताव करेंगे कि वीरवार, 27 अगस्त, 2026 को अंतिम दो घंटों के दौरान सरकारी कार्य करने के संबंध में प्रस्ताव, जहां तक वह लागू होता है, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलंबित किया जाए। |
| यह भी     | प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलंबित किया जाए तथा वीरवार, 27 अगस्त, 2026 को अंतिम दो घंटों के दौरान सरकारी कार्य किया जाए।                                         |

IV. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट।

- (i) अध्यक्ष विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
- (ii) समिति के प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट एक सदस्य में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

V. ध्यानाकर्षण सूचनाएं।

|     |                                                                                                                                                 |                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (i) | <b>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-2</b><br>जिसकी सूचना-<br>1. श्री अदित्य देवीलाल, एम.एल.ए.; तथा<br>2. श्री अर्जुन चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है । | राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से सम्बंधित। |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

**VI. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र।**

|     |           |                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | एक मंत्री | हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2) मेज पर रखेंगे।                                                                                           |
| 2.  | एक मंत्री | हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3) मेज पर रखेंगे।                                                                                           |
| 3.  | एक मंत्री | हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4) मेज पर रखेंगे।                                                                          |
| 4.  | एक मंत्री | हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5) मेज पर रखेंगे।                                                                                   |
| 5.  | एक मंत्री | हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6) मेज पर रखेंगे।                                                                              |
| 6.  | एक मंत्री | हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 जनवरी, 2026 मेज पर पुनः रखेंगे।  |
| 7.  | एक मंत्री | हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 जनवरी, 2026 मेज पर पुनः रखेंगे।  |
| 8.  | एक मंत्री | हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 जनवरी, 2026 मेज पर पुनः रखेंगे।  |
| 9.  | एक मंत्री | हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 अप्रैल, 2026 मेज पर पुनः रखेंगे। |
| 10. | एक मंत्री | हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 मई, 2026 मेज पर रखेंगे।          |
| 11. | एक मंत्री | हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 मई, 2026 मेज पर रखेंगे।          |
| 12. | एक मंत्री | हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 जुलाई, 2026 मेज पर रखेंगे।       |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | एक मंत्री | राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 (7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2023-2024 के लिए हरियाणा वित्तीय निगम की 57 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ पृथक लेखा परीक्षण रिपोर्ट मेज पर रखेंगे। |
| 14. | एक मंत्री | राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 37 (7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2024-2025 के लिए हरियाणा वित्तीय निगम की 58 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ पृथक लेखा परीक्षण रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।  |
| 15. | एक मंत्री | हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 18 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2023-2024 के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन मेज पर रखेंगे।                              |
| 16. | एक मंत्री | हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 18 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2024-2025 के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन मेज पर रखेंगे।                              |
| 17. | एक मंत्री | हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 18 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2025-2026 के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन मेज पर रखेंगे।                              |
| 18. | एक मंत्री | हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 17 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2025-2026 (01.04.2025 से 31.03.2026) के लिए लोकायुक्त हरियाणा का वार्षिक प्रतिवेदन मेज पर रखेंगे।                           |

## VII. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से विशेषाधिकार समिति की रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

- (i) श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा श्री इन्दुराज सिंह नरवाल, एम.एल.ए. के विरुद्ध लाए गए संकल्प/प्रस्ताव के संबंध में विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जिसे सदन ने 22 दिसम्बर, 2025 को पारित किया था तथा मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजना।

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सन: | श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा श्री इन्दुराज सिंह नरवाल, एम.एल.ए. के विरुद्ध लाए गए संकल्प/प्रस्ताव के संबंध में विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे जिसे सदन ने 22 दिसम्बर, 2025 को स्वीकार किया था तथा मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- (ii) श्री अर्जुन सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा श्री इन्दुराज सिंह नरवाल, एम.एल.ए. के विरुद्ध दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न के संबंध में विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा आगे की जाँच तथा सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए।

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सन: | श्री अर्जुन सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा श्री इन्दुराज सिंह नरवाल, एम.एल.ए. के विरुद्ध दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तथा आगे की जाँच तथा सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। |
| यह भी                           | प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।                                                                                                                                                                                                                                                                           |

- (iii) श्री प्रमोद कुमार विज, एम.एल.ए., द्वारा सोशल मीडिया के चैनल 'एक्शन इंडिया हरियाणा' (ए.आई.एच) के प्रबंध निदेशक, प्रकाशक, संपादक, निर्माता तथा संवाददाता के विरुद्ध प्रस्तुत संकल्प/प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभिकथित विशेषाधिकार भंग के संबंध में विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जिसे सदन द्वारा 23 फरवरी, 2026 को स्वीकृत किया गया था तथा आगे की जाँच तथा सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजना।

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सन: | श्री प्रमोद कुमार विज, एम.एल.ए., द्वारा सोशल मीडिया के चैनल 'एक्शन इंडिया हरियाणा' (ए.आई.एच) के प्रबंध निदेशक, प्रकाशक, संपादक, निर्माता तथा संवाददाता के विरुद्ध प्रस्तुत संकल्प/प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभिकथित विशेषाधिकार भंग के संबंध में विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे जिसे सदन ने 23 फरवरी, 2026 को स्वीकृत किया था तथा आगे की जाँच तथा सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। |
| यह भी                           | प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

- (iv) श्री योगिन्द्र सिंह राणा, एम.एल.ए., द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, एम.एल.ए. (नेता प्रतिपक्ष); श्री अशोक कुमार अरोड़ा, एम.एल.ए.; श्री बलराम दांगी, एम.एल.ए.; श्रीमती शकुन्तला खटक, एम.एल.ए.; श्री रघुवीर सिंह कादियन, एम.एल.ए.; श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, एम.एल.ए.; तथा श्री मामन खान, एम.एल.ए.; इत्यादि के विरुद्ध दिनांक 30 अप्रैल, 2026 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न के संबंध में विशेषाधिकार समिति का पहला प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा आगे की जाँच तथा सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए।

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सन: | श्री योगिन्द्र सिंह राणा, एम.एल.ए., द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एम.एल.ए. (नेता प्रतिपक्ष); श्री अशोक कुमार अरोड़ा एम.एल.ए.; श्री बलराम दांगी एम.एल.ए.; श्रीमती शकुन्तला खटक, एम.एल.ए.; श्री रघुवीर सिंह कादियन, एम.एल.ए.; श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, एम.एल.ए.; तथा श्री मामन खान, एम.एल.ए.; के विरुद्ध दिनांक 30 अप्रैल, 2026 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न के संबंध में विशेषाधिकार समिति का पहला प्रारंभिक प्रतिवेदन 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना तथा आगे की जाँच तथा सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। |
| यह भी                           | प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**VIII. विधायी कार्य।**

**(पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)**

|                                                                   |           |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. हरियाणा न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2026                         | एक मंत्री | हरियाणा न्यायालय (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।                         |
| 2. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026                        | एक मंत्री | हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।                        |
| 3. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026                         | एक मंत्री | हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।                         |
| 4. हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल विधेयक, 2026 | एक मंत्री | हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे। |

**IX. शून्य काल ।**

चण्डीगढ़:  
26 अगस्त, 2026.

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा. प्र. से,  
सचिव।